न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 24 / 2022

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2022 / 318

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. किशनलाल पिता अर्जुनलाल नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर		1. कुलदीप पिता घनश्यामसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर
2. घीसी पुत्री अर्जुनलाल नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर		2. पुजा पिता घनश्यामसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर
3. जगदीश पिता अर्जुनलाल नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर		3. रविन्द्र पिता घनश्यामसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर
4. नरेश कुमार पिता अर्जुनलाल नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर		4. राजु पिता हरिसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर
5. प्यारी पत्नि अर्जुनलाल नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर		5. लीला कंवर पत्नि घनश्यामसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर
6. राजुलाल पिता अर्जुनलाल नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर		6. राधेश्याम पिता सोहनदास वैष्णव निवासी जगदीश तहसील करेड़ा
		7. लादुलाल पिता नन्दा बैरवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर
		8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जाकिर हुसैन रंगरेज, प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री हरिश चन्द टेलर, विप्रार्थी 1 लगायत 3, 5 अधिवक्ता
3. विप्रार्थी 4, 6, 7 एकपक्षीय
4. विप्रार्थी पैराकार सरकार उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक-25/11/2025

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारो एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरून हल्का आवादी में खाता संख्या 80 में अंकित आ.सं. 1418 रकबा 0.32 हैक्ट आ.सं. 1424 रकबा 0.20 हैक्ट आ.सं. 1425 रकबा 0.22 हैक्ट आ.सं. 1426 रकबा 0.12 हैक्ट भूमीयां अन्य आराजियात के साथ स्थित हैं। प्रमाण में वर्तमान जमावंदी व नक्शाट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र कदीमी रास्ता गांव से आने वाली सरकारी सडक आरा 1407 से होकर विपक्षी संख्या एक से छ की आसं 1405 की

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

पूर्वी पाली पर उत्तर से दक्षिण लम्बाई में पन्द्रह फिट चौड़ा रास्ता होकर आगे विपक्षी संख्या सात की आसं 1404 के उत्तरी पूर्वी कोने पर प्रार्थीगण की आ.सं 1418 में जाता है तथा आगे उक्त रास्ता प्रार्थीगण की अन्य आराजी में जाता है जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो में वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतों में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहे हैं तथा इसी रास्ते से अपने संज बैल, गाड़ी ट्रैक्टर आदि लेकर जाते हैं तथा खाद आदि डालते आ रहे हैं। उक्त रास्ता मौके पर खुला हुआ हैं तथा रास्ते के दोनो तरफ थोहर की बाड़ लगी हुई हैं। प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यंत आवश्यकता का रास्ता है।

02. अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम सगरेव में स्थित आराजी संख्या 1418, 1425, 1426 में आवागमन का रास्ता विपक्षीगण कर आराजी संख्या 1405 की पूर्वी पाली पर उत्तर से दक्षिण की लम्बाई में व आराजी संख्या 1404 की उत्तरी पूर्वी पाली पर 15 फीट चौड़ाई में स्थित कदीमी रास्ते को बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम फरमाया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर से राशि विपक्षीगण को दिलाने का ओदश प्रदान फरमाया जाए।

03. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 4, 6, 7 बावजुद सम्यक तामील होने के उपस्थित नही हाने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 23.05.2023 को की गई एवं विप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3, 5 के अधिवक्ता श्री हरिशचन्द टेलर ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा विप्रार्थी तहसीलदार रायपुर ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल हैं।

04. विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकन किया कि प्रार्थीगण के नाम भूमियां का अंकन होना स्वीकार है। प्रार्थीगण की भूमियों में किसी भी रूप से आवागमन करने का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 1405 व 1404 की उतर से दक्षिण लम्बाई में पूर्वी पालियो पर नही है न ही प्रार्थीगण का विपक्षीगण की भूमियों में आवागमन हो रहा है। प्रार्थीगण के आवागमन के दो रास्ते मौजुद है और खुले है इसलिये नये सिरे से कोई रास्ता विपक्षीगण की भूमियो में दिलाया जाना न्यायोचित नही है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1418, 1424, 1425 भूमियां विपक्षीगण की भूमियों के सरवेले में ही नही है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का रास्ता गांव से आने वाली सड़क की आराजी संख्या 1407 व 1414 से होकर आराजी संख्या 1415 व 1417 की पश्चिमी पालियों पर होकर मौजुद है व सीधा ही प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1418 में आवागमन किया जा सकता है। व एक रास्ता आराजी संख्या 1416 की पूर्वी पाली पर होकर भी सीधा उनकी भूमि में जाता है। प्रार्थीगण की भूमियों में एक ओर रास्ता बागोर जाने वाली सड़क की आराजी संख्या 1407 व 1414 से होकर आगे प्रार्थीगण के भाईयो की आराजी संख्या 1429 व 1427 में इनकी पश्चिमी पाली पर होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1426 में सीधा ही आवागमन हेतु रास्ता वर्तमान में मौजुद है व इसी रास्ते से आवगमन कर रहे है। जानबुझ कर विपक्षगण की भूमियों को खराब करना चाहते है जो कानुन की मंशा के विरूद्व अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

05. न्यायालय नें पत्रावली एवं प्रकरण में पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 1405, आराजी संख्या 1404 में से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/राजस्व/251ए/2023/1053 दिनांक 25.05.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :–

i. प्रार्थीगण किशनलाल, जगदीशचन्द्र, नरेशकुमार, राजुलाल पिता अर्जुनलाल, घीसी पुत्री अर्जुन लाल, प्यारी पत्नि अर्जुन लाल निवासी की खातेदारी आ.सं. 1418 रकबा 0.32 हैक्ट आ.सं. 1424 रकबा 0.20 हैक्ट आ.सं. 1425 रकबा 0.22 हैक्ट आ.सं. 1426 रकबा 0.12 हैक्ट में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 1405 की पूर्वी मेड़ व आराजी संख्या 1404 के उत्तरी पूर्वी कोने से 15 फीट चौड़ा रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

ii. प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी आराजियात पर आवागमन हेतु सगरेव–नाथड़ियास पक्की सड़क आराजी संख्या 1407 से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 1405 व 1404 की पूर्वी मेड़ से आ–जा रहे है एवं आराजी संख्या 1418 में प्रवेश करते है।

iii. मौक पर उक्त रास्ते में वर्तमान में आवागमन हेतु कोई रूकावट नही है। सड़क के किनारे थोर की बाड़ लगा रखी हैं। प्रार्थीगण के उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रेकार्ड व मौके पर उपलब्ध नही है।

iv. प्रार्थीगण वर्तमान में विपक्षीगण की आराजी संख्या 1404 व 1405 की पूर्वी मेड़ से होकर अपनी आराजी में आ–जा रहे है।

v. प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की आराजी संख्या 1404 व 1405 की पूर्वी मेड़ पर 15 फीट चोड़ा रास्ता चाहा है जिससे आराजी संख्या 1405 मे से रकबा 0.04 है0 एवं आराजी संख्या 1404 मे से 0.0050 है0 कुल 0.0450 है0 भूमि प्रस्तावित रास्ते में आती है। ग्राम सगरेव की अंसिचित डी.एल.सी. दर 237647 रूपये प्रति हैक्ट. है 2377 रूपये प्रति एयर की राशि बनती है।

क. स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा है0 में	किस्म	प्रस्तावित रकबा	राशि
1	कुलदीप, पुजा, रविन्द्र पुत्र घनश्यामसिंह 1/2, राजु पुत्र हरिसिंह 1/4 बड़वा सा.देह, राधेश्याम पुत्र सोहनदास वैष्णव 1/4 निवासी जगदीश तहसील करेड़ा	1405	0.89	भू.रे.मा.	0.0400	9508
2	लादुलाल पिता नन्दा बैरवा सा.देह	1404	1.08	भू.रे.मा.	0.0050	1189
				योग	0.0450	10697

प्रस्तावित रास्ते हेतु रकबा 0.0450 है0 की भूमि कीमत डी.एल.सी. अनुसार 10697 रू. बनती है जिसकी दुगुना राशि 21394 रू. बनते है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

vi. नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। वर्तमान चालु रास्ते को बल्यू लाईन से दर्शाया गया है।

vii. उक्त रास्ते के अलावा वैकल्पिक रास्ता नही होने से नही दर्शाया गया है।

06. विपक्षी संख्या 1 लगायत 3, 5 के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार रायपुर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसमें अंकन किया कि मौका रिपोर्ट तैयार करते समय विपक्षीगण को कोई सूचना नही दी गई एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की गयी जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तो के विपरीत है। विपक्षीगण द्वारा बताये गये रास्ते जो वैकल्पिक तौर पर उपलब्ध है व प्रार्थीगण वर्तमान में आवागमन कर रहे है उसका कोई विवरण मौका रिपोर्ट में अकंन नही किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट कानुनन स्वीकार योग्य नही है। इसलिए मौका रिपोर्ट में सभी तथ्यो का समावेश करते हुए पुनः तलब फरमाया जाना नितान्त आवश्यक व न्यायोचित है।

07. न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या 1लगायत 3 व 5 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को स्वीकार कर पुनः मौका रिपोर्ट के लिए तहसीलदार रायपुर को लिखा गया जिस पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अकंन किया कि पूर्व प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 25.05.2023 का बिन्दुवार अवलोकन उपभपक्ष को करवाया गया। विपक्षी कुलदीपसिंह, पूजा, लीलाकंवर उपस्थित हुए जिन्होने से पूर्व में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता हेतु आराजी संख्या 1415 व 1417 की पश्चिमी मेड़ पर होकर प्रार्थीगण आवागमन कर सकते है जिसके सम्बन्ध में पूर्व प्रस्ताव के नजरी नक्शा व नक्शा ट्रेस में वैकल्पिक मार्ग का अंकन किया गया। मौका रिपोर्ट मे सलगन मौका पर्चा अनुसार मौके पर आराजी संख्या 1415 व 1417 पर थोर की बाड़ लगी हुई है उसमें आवागमन नही हो रहा है। विपक्षी ने हस्ताक्षर करने से मना किया।

08. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कदीमी रास्ता आराजी संख्या 1407, 1405, 1404, 1418 मे है। अन्य को रास्ता नही है। वैकल्पिक रास्ता चालु होना चाहिए जो नही है। मौका रिपोर्ट में चाहा गया रास्ता चालु है जिसका वर्णन किया गया है। विपक्षी द्वारा आपत्ति के बाद मौका रिपोर्ट में आराजी संख्या 1415, 1417 को वैकल्पिक रास्ते के रूप बताया गया है पर थोर की बाड़ है जो नया रास्ता विपक्षीगण खुलवाना चाहते है यहां से आवागमन नही हो रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

09. विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी संख्या 1415 व 1417 के बारे मे मौका रिपोर्ट वर्णन नही कि उसमें खाई है। कम कृषि भूमि को खराब करे एवं छोटा रास्ता हो वो रास्ता दिया जाना चाहिये। आराजी संख्या 1415 व 1417 में निकटतम मार्ग है। मौका रिपोर्ट अलग नही बनाकर पुरानी में संशोधन किया गया है। आराजी संख्या 1415 व 1417 को पक्षकार बनाया जाए। आराजी संख्या 1426 का उपयोग रास्ते के लिए हो रहा है। आराजी संख्या 1426, 1428, 1429, 1416 प्रार्थीगण के रिश्तेदारो की है। वर्तमान में आराजी पर फसल खड़ी है। धारा 251 में तहसीलदार के यहां आवेदन किया जाना चाहिये था। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज किया जावे।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) रायपुर

10. विप्रार्थी तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार अन्य वेकल्पिक रास्ता जो बताया गया है आराजी संख्या 1415 व 1417 से वह मौके पर चालु नही है। विप्रार्थी 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 1405 रकबा 0.89 है0 मे से लगभग 0.0400 है0 भूमि ही रास्ते के रूप में प्रस्तावित है। प्रार्थी ने प्रस्तावित किये गये रास्ते से ही आवागमन किया जा रहा है व मौके पर रास्ता मौजुद है। प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया जिस स्थान पर रास्ता मौजुद होने से एवं विपक्षीगण के द्वारा बताये गए वैकल्पिक रास्ते बन्द है। अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है लघुतम रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

11. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः–

धारा 251क– <u>अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना</u> :– (1) जहॉ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के प चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

iii. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

iv. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

12. चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1418, 1424, 1425, 1426 में आवागमन हेतु राजस्व रेकार्ड में रास्ता

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) रायपुर

उपलब्ध नही हैं, अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन का अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता बताया गया है जो मौके पर चालु नही है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा इसी रास्ते से आवागमन किया जाना बताया गया है। विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में आवागमन के रास्ते को अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात में आवागमन इसी रास्ते से किया जा रहा है।

13. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है,अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं,जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता 15 फीट चौड़ाई में भूमि की गणना की गई जिसरो आराजी संख्या 1405 में से रकबा 0.0400 है0 व आराजी संख्या 1404 मे से 0.0050 है0 बनता है अर्थात कुल रकबा 0.0450 है0 भूमि बनती है। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अधिवक्ता, विपक्षी अधिवक्ता, तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया तो पाया कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजियात में आवागमन के लिए रास्ते की आवश्कता है। प्रार्थीगण को 15 फीट के बजाय 12 फीट रास्ता दिया जाता है तो भी प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजितयात में आवागमन कर सकते है एवं 12 फीट का रास्ता प्रार्थीगण की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सुगमता से आवागमन के लिए पर्याप्त होगा तथा इसरे विपक्षीगण की कृषि आराजियात मे से भी कम भूमि का व्यय होगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट के आधार पर गणना की गई जिससे विपक्षी की आराजी संख्या 1405 रकबा 0.89 है0 मे से 0.0325 है0 भूमि व आराजी संख्या 1404 रकबा 1.08 है0 भूमि मे से 0.0040 है0 भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर–900000 रूपये प्रति हैक्टयर के अनुसार प्रतिकर हेतु दुगूनी देय राशि– 65700/–रूपये बनती है, जिसको

सहायक कलक्टर
(एल.डी.ओ.)रायपुर

प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है, अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है, तथा खाता संख्या 80 में अंकित आ.सं. 1418 रकबा 0.32 हैक्ट आ.सं. 1424 रकबा 0.20 हैक्ट आ.सं. 1425 रकबा 0.22 हैक्ट आ.सं. 1426 रकबा 0.12 हैक्ट भूमि में पहुंच हेतु खसरा संख्या 1405 रकबा 0.89 है0 मे से 0.0325 है0, भूमि व आराजी संख्या 1404 रकबा 1.08 है0 भूमि मे से 0.0040 है0 भूमि संलग्न नक्शानुसार 12 फीट चौड़ाई में सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार रायपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 65700/–(अक्षरे पैसठ हजार सात सौ) रूपयें की राशि विपक्षी खातेदारो को भुगतान करने पर उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

निर्णय आज दिनांक 25/11/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर